अपील सूचना अधिकार संख्या 65/2019 (RCMS 2019/00172) श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 70 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर (पो.ऑ.न 577815) बनाम तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर

16.10.2019

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुआ। बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी ने अपनी बहस में कहा कि उसने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत दिनांक 17.06.2019 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके 19 बिन्दुओं की सूचना चाही थी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे निश्चित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसे लोक अधिकारी से वांछित बिन्दुवार सूचनाएं उपलब्ध करवाई जावे एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत 25000/— रूपये शास्ति अधिरोपित की जावे एवं हर्जाना प्रार्थी को दिलवाये जाने की प्रार्थना की है।

मैनें उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 17.06.2019 से लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थीः

> आपका पत्रांक 267 दिनांक 17.06.2019 से सम्बन्धित सूचनाएं व अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर के पत्रांक 4143 दिनांक 23.04.2019 व प्रार्थी के पत्रांक 7194 दिनांक 7.12.17 के सम्बन्ध में सूचनाऐं :
>
> 1. अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर के पत्रांक 4143 दिनांक 23.04.2019 की पालना में प्रार्थी को सुना जाकर जांच रिपोर्ट भेजने हेतु आदेशित किया था। जिस दिवस आप द्वारा प्रार्थी को सुना जाने हो नोटिस/सूचना/पत्रांक प्रेषित किया गया उस

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

पत्रांक की क्रमांक दिनांक व पत्रांक की प्रमाणित प्रति।

2. माननीय अतिरक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) के उपरोक्त आदेश की पालना में प्रार्थी को सुना जाने हेतु नोटिस/पत्रांक जारी न करेन के नियम की सूचना।

3 प्रार्थी के पत्रांक 7194 दिनांक 07.12.2017 के बिन्दुसंख्या 1 में अंकित तथ्य दिनांक 05.04.14 से दिनांक 07.04.2014 तक बी. एल.ओ. सुभाष गोयल को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति, जिस नियम के अन्तर्गत बैंक प्रशासन द्वारा दी गई उसकी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है। उपलब्ध करवाने की कृपा करें। जबकि सुभाष गोयल को डेप्यूटेशन पर निर्वाचन विभाग को बी.एल.ओ. श्री सुभाष गोयल को सुपुर्द किया हुआ था।

4. प्रार्थी का पत्रांक 7194 बिन्दु संख्या 02 बीएलओ द्वारा मुख्यालय छोड़ने की अनुमति निर्वाचन विभाग से ही ली जा सकती है इस बाबत सूचना

प्रार्थी का पत्रांक 7194 दिनांक 07.12.17 बिन्दु संख्या 3

5. बीएलओ श्री सुभाष गोयल ने स्वयं स्वीकार अपनी कार्य निष्पादन रिपोर्ट दिनांक 17.06.2014 में किया है कि उसने 04. 04.2014 से 12.04.2014 तक चुनाव ड्यूटी लोकसभा में की है इस बाबत सूचना व कार्य निष्पादन की बीएलओ की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति व सूचना। जिसकी निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, एसडीएम एवं उप पंजीयक, श्रीगंगानगर ने की है, इस बाबत सूचना।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

6. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र क्रमांक 7194 दिनांक 07.12.2017 में अंकित तथ्य की सूचना बी.एल.ओ. श्री सुभाष गोयल द्वारा जोधपुर जाने हेतु जो आवेदन बैंक में दिया था उसकी सूचना व प्रार्थना पत्र दिये जाने की दिनांक की सूचना व बैंक से पत्र प्राप्ति रजिस्टर के क्रमांक व दिनांक की सूचना व प्रमाणित प्रति। उस प्रार्थना पत्र पर मार्किंग जिस अधिकारी के है, उसका नाम व पद की सूचना।
7. बैंक प्रशासन द्वारा जिला अधिनियम की जिस धारा के अन्तर्गत जारी की गई है, उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।
8. श्रीमान A.D.M. (Vigilance) श्रीगंगानगर पत्रांक 535 दिनांक 05.03.2018 से सूचना प्रार्थी के जिस प्रार्थना पत्र के संदर्भ में प्रार्थना पत्र व A.D.M. (Vigilance) के पत्रांक 535 दिनांक 05. 03.2018 की प्रमाणित प्रति।
9. श्रीमान् A.D.M. (Vigilance) के पत्रांक 561 दिनांक 09.04.2018 से सूचना प्रार्थी के जिस पत्रांक से भिजवाई गई थी, प्रार्थी के उस पत्रांक की सूचना व पत्र की प्रमाणित प्रति।
10. आपके पत्रांक 267 दिनांक 17.06.2019 के पैरा संख्या 02 में अंकित तथ्य कि "जांच हेतु सुभाष गोयल को बुलाये जाने पर" सुभाष गोयल को बुलाया गया जिस पत्र व प्रार्थी को सुभाष के सा‍ा जिस पत्र से आपके विभाग द्वारा बुलाया गया उस दोनों की सूचना व प्रमाणित प्रति।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

11. महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 03, जोधपुर के निर्णय में जोधपुर उपस्थित होने के जिस विषय वस्तु के सम्बन्ध में तथ्य अंकित है उस दिवस की सूचना, जिस दिवस बी.एल.ओ. श्री सुभाष गोयल जोधपुर में उपस्थित था।
12. महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा दिये गये निर्णय के तथ्यों की सूचना।
13. महानगर मजिस्ट्रेट, जोधपुर में जिस दिवस बी.एल.ओ. सुभाष गोयल की उपस्थिति दर्ज करवाई है, निर्णय दिया है, उसकी सूचना व महानगर मजिस्ट्रेट, जोधपुर के निर्णय की प्रमाणित प्रति।
14. प्रार्थी के पत्रांक 7194 दिनांक 07.12.2017 के जिस बिन्दु में महानगर मजिस्ट्रेट, जोधपुर के सम्बन्ध में सूचना मांगी गई है, उस पत्रांक व बिन्दु की सूचना व प्रमाणित प्रति।
15. थानाधिकारी, पुलिस थाना उदयमन्दिर जोधपुर में जांच जिस बिन्दु पर की है व बी.एल.ओ. श्री सुभाष गोयल को जोधपुर जिस दिवस उपस्थित, जिस निर्वाचन विभाग, श्रीगंगानगर के अधिकारी के पत्रांक पर माना है, उस दिवस की सूचना व निर्वाचन अधिकारी श्रीगंगागनर के पत्रांक व दिनांक की प्रमाणित प्रति।
16. बिन्दु संख्या 16 से 19 की प्रति अपीलार्थी ने अपनी अपील प्रार्थना पत्र के संलग्न नहीं की है।

तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर के अपने पत्रांक 300 दिनांक 19.08.2019 से अपील पत्र के जवाब के संलग्न अपने पत्रांक 297 दिनांक 19.07.2019 की प्रति संलग्न कर भिजवाई है जिसके द्वारा प्रार्थी श्री राधेश्याम गोयल को तहसीलदार, श्रीगंगानगर द्वारा निम्नानुसार जवाब दिया गया है :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

बिन्दुवार सूचना निम्नानुसार है :

1. **बिन्दु सं. 1**: जैसा कि आप को पूर्व में भी सूचित किया जा चुका है कि उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 2, जोधपुर महानगर द्वारा आदेश जारी किया जा चुका है, इसलिए इस प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा कोई जांच अपेक्षित नहीं हैं
2. **बिन्दु सं. 2**: प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा कोई जांच अपेक्षित नहीं है।
3. **बिन्दु सं. 3 से 7** : थानाधिकारी पुलिस थाना उदयमंदिर जोधुपर महानगर द्वारा जांक कर रिपोर्ट माननीय नयायालय महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 3, जोधपुर महानगर में जांच रिपोर्ट पेश की गई है।
4. **बिन्दु सं. 8** : पत्रांक 7211 दिनांक 08.03.2017
5. **बिन्दु सं. 9** : अपील दिनांक 03.04.2018
6. **बिन्दु सं. 10** : इस कार्यालय के नोटिस क्रमांक – निर्वा/2018/01 दिनांक 01.01.2018 श्री राधेश्याम गोयल एवं क्रमांक –निर्वा/2018/02 दिनांक 01.01.2018 श्री सुभाष गोयल
7. **बिन्दु सं. 11** : उपस्थित हरने की दिनांक का उल्लेख निर्णय में उपलब्ध नहीं हैं
8. **बिन्दु सं. 12 व 13** प्रमाणित प्रति माननीय न्यायालय से प्राप्त की जा सकती है एवं तथ्यों की जानकारी निर्णय में है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

9. **बिन्दु सं. 14** : महानंगर मजिस्टेट जोधपुर के सम्बन्ध में कोई सूचना आप द्वारा नहीं चाही गई।

10. **बिन्दु सं. 15:** आपका इस्तगासा धारा 15(3) सीआरपीसी के तहत

11. **बिन्दु सं. 16** थानाधिकारी, उदयमन्दिर के सम्बन्ध में कोई सूचना आप द्वारा नहीं चाही गई।

12.**बिन्दु सं. 17** : तहसीलदार निर्वाचन के द्वारा की गई जांच के सम्बन्ध में कोई सूचना आप द्वारा नहीं मांगी गई।

13 **बिन्दु सं. 18:** आप स्वयं की अपील की सुनवाई की है।

14.**बिन्दु सं. 19** : सम्बन्धित माननीय न्यायालय से प्राप्त की जा सकती है।

नोट : जो प्रमाणित प्रतियां नियमानुसार इस कार्यालय द्वारा जारी की जा सकती है वे निर्धारित शुल्क जमा करवाकर कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है एवं माननीय न्यायालय से संबंधित प्रमाणित पतिया माननीय न्यायालय से प्राप्त की जा सकती है।

-sd-
सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं
तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते **सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है।** सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। **इस दृष्टिकोण से लोक सूचना अधिकारी** द्वारा उक्तानुसार जो उत्तर दिया गया है, वह सही है। फिर भी सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में आपके कार्यालय में उपलब्ध किसी निश्चित अभिलेख की सूचनाएं लेना चाहे तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नियमानुसार प्रार्थी को उपलब्ध करवा दी जावे।

अतः उपरोक्तानुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)

जिला कलैक्टर

श्रीगंगानगर